अनुलग्नक- I

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

अनुक्रमणिका

	विषयवस्तु तालिका	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रस्तावना	1
2	पृष्ठभूमि	1
3	कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान, वहा उसके अंतर्गत और सीएसआर पर अनुसूची VII तहत बनाए गए नियम	2
4	सीएसआर नीति के अंतर्गत आवरित गतिविधियां	3
5	सीएसआर नीति का उद्देश्य	3
6	सीएसआर समिति की भूमिका	4
7	निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका	4
8	सीएसआर नीति का कार्यान्वयन	5
9	रिपोर्टिंग	5
10	निगरानी और समीक्षा	5

1. प्रस्तावना:

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवसाय द्वारा निरंतर प्रतिबद्ध है जो नैतिक मूल्यों का सम्मान करती है, कानूनी मुद्दों का समाधान करती है और श्रमसेना व उनके परिवारों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय और व्यापक रूप से समाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास में योगदान करती है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार व्यवसाय जगत के लिए नया नहीं है।

सीएसआर स्पष्ट रूप से क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और समाज से हाशिए पर स्थित और वंचित वर्ग के उत्थान पर कार्यरत है। सीएसआर की उभरती अवधारणा दान से परे है और कंपनी को अपने कानूनी दायित्वों से परे कार्य करने और कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रिया में सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वर्षों में वैश्विक स्तर पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सीएसआर की अवधारणा सामाजिक दायित्व प्रणाली के रूप में काम करने के लिए एक संगठन की प्रतिबद्धता को पहचानती है। यह निगमित वित्तीय निर्णयों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखता है। यह निगमित प्रशासन और नैतिक व्यवसाय प्रक्रिया से भी संलग्न है।

2. पृष्ठभूमि:

कंपनी अधिनियम 2013 ने कई प्रावधान प्रस्तुत किए हैं जो भारतीय निगमों के व्यापार करने के तरीके को बदल देंगे और ऐसा ही एक प्रावधान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च कर रहा है। सीएसआर, जो अधिकांश निगमों द्वारा स्वैच्छिक योगदान रहा है, अब कानून के तहत अनिवार्य कर दिया गया है।

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2014 को उस तिथि पर अधिसूचित किया, जिस दिन धारा के प्रावधान 135 और अनुसूची VII, (जो उन कंपनियों को परिभाषित करती है जो इस खंड का पालन करने के लिए अनिवार्य हैं और ऐसी गतिविधियाँ जिन्हें इस खंड के उद्देश्य के लिए सीएसआर गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है), लागू हो चुकी हैं।

3. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान, वहा उसके अंतर्गत और सीएसआर पर अनुसूची VII तहत बनाए गए नियम:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी के पास:

- 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल संपत्ति, या
- 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार, या
- किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ

इन्हें बोर्ड में से एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

अधिनियम की धारा 135(5) में निर्दिष्ट है कि, उप-धारा (1) में संदर्भित प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में खर्च करे।

बशर्ते कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहां वह कार्यान्वित है:

परंतु यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड, धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में (जो निदेशकों की रिपोर्ट को कंपनी के सामने रखे गए कथन में संलग्न करने का प्रावधान करता है) आम बैठक, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान की गई सीएसआर पहलों पर विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण देना होगा), राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करें।

अधिनियम 2013 की आगे की अनुसूची VII उन गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में समाविष्ट किया जा सकता है। तदनुसार, यह नीति इन गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है।

4. सीएसआर नीति के अंतर्गत आवरित गतिविधियां:

इन गतिविधियों में समाविष्ट हैं:

i. अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन
ii. शिक्षा को प्रोत्साहन
iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और स्त्री सशक्तिकरण
iv. बाल मृत्यु दर में कमी और मातृ स्वास्थ्य में सुधार
v. ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस[HIV], एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना
vi. पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना
vii. रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल
viii. सामाजिक व्यापार परियोजनाएँ
ix. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और सहाय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान
x. इस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ जो अनुमेय हों।

5. सीएसआर नीति का उद्देश्य:

नीति के मुख्य उद्देश्य हैं:

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं का अनुपालन और
- इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।
- निर्धारित क्षेत्र तक योगदान करने के लिए अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों के बीच गतिविधियों की पहचान करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को स्थापित करना।
- नीति को लागू करने के लिए बोर्ड की सीएसआर समिति तैयार करना और निम्नलिखित मामलों के संबंध में समय-समय पर बोर्ड को अनुग्रह करना:
  - गतिविधि/कार्यों की पहचान अनुसूची में निर्दिष्ट गतिविधियों में से की जानी है
  - इस प्रकार पहचान की गई गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि।
- समय-समय पर अनुपालन स्तर की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियामक आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी का अनुपालन अच्छी तरह से हो।

6. सीएसआर समिति की भूमिका:

सीएसआर समिति की भूमिका में समाविष्ट हैं:

- यदि आवश्यक हो तो आवधिक समीक्षा/संशोधन सहित बोर्ड को एक सीएसआर नीति का अनुग्रह करना।
- उपरोक्त परिच्छेद 4 के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों में से गतिविधियों की पहचान करना और बोर्ड को अनुग्रह करना।
- पहचान की गई गतिविधि/यों के लिए व्यय/योगदान की जाने वाली राशि का बोर्ड को अनुग्रह करना।

7. निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका:

कंपनी के निदेशक मंडल के लिए आवश्यक है:

- अनुमोदन और अभिग्रहण से पहले सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित सीएसआर नीति की जांच करें, अनुमोदन करें और अभिग्रहण करे। इसके अलावा, इस तरह की नीति की विषय-सूची को अपनी रिपोर्ट में प्रकट करें और इसे कंपनी की वेबसाइट पर रखें।
- सुनिश्चित करें कि सीएसआर गतिविधियां कंपनी द्वारा की जाती हैं
- सीएसआर गतिविधियों पर दो प्रतिशत खर्च सुनिश्चित करें।
- निदेशक की रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट करें और सीएसआर प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन (यदि कोई हो) का कारण सहित प्रकटन करें।
- कंपनी बोर्ड के समक्ष एक नोट रखेगी जिसमें अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट गतिविधियों में से पहचान की जाने वाली गतिविधियों को समाविष्ट किया जाएगा, जिसमें लाभों और शामिल लागतों की रूपरेखा होगी। बोर्ड कंपनी के प्रबंध निदेशक को ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए

अधिकृत कर सकता है जो गतिविधि की पहचान करने और उसके लिए योगदान देने के लिए आवश्यक हैं।

- एक गतिविधि जो अनुसूची VII के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- सीएसआर नीति की समीक्षा वर्ष में एक बार या ऐसे उपयुक्त अंतराल पर बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। समीक्षा में कारकों को आवरित किया जाएगा, जैसे यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर नीति के अनुरूप सीएसआर करने के लिए गतिविधियों की पहचान के संबंध में कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय।
- कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार होंगे:
  - बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर मान्य की गई सीएसआर गतिविधियों के जोखिम और लागत लाभों का मूल्यांकन करना।
  - सीएसआर गतिविधि की पहचान के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की समय-समय पर समीक्षा करना।

8. सीएसआर नीति का कार्यान्वयन:

कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियों को निम्नलिखित पद्धति से कार्यान्वित कर सकती है:

- स्वयं प्रत्यक्ष रूप से।
- इस पहल को सुगम बनाने के लिए अपने स्वयं के गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से स्थापित करना।
- स्वतंत्र रूप से पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से जिनके पास इस प्रकार की संबंधित गतिविधियों में कम से कम तीन वर्ष का रिकॉर्ड है।
- अन्य कंपनियों के साथ अपने संसाधनों का सहयोग या पूलिंग करना।
- केवल भारत में की गई सीएसआर गतिविधियों को ही ध्यान में लिया जाता है।
- विशेष रूप से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई गतिविधियां सीएसआर गतिविधियों के लिए योग्य नहीं हैं।

9. रिपोर्टिंग:

- कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता है कि कंपनी का बोर्ड, सीएसआर समिति द्वारा किए गए अनुग्रहो को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के लिए सीएसआर नीति को स्वीकृति देगा और अपनी रिपोर्ट में इसकी सामग्री का प्रकटन करेगा और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण भी प्रकाशित करेगा, यदि कोई हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए। यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में कारणों का उल्लेख करेगा।

10. निगरानी और समीक्षा:

- अनुपालन विभाग द्वारा अनुपालन की आवधिक निगरानी की जाएगी। प्रत्येक तिमाही के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए किए गए योगदान की विस्तृत रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही तक संचयी आधार पर किए गए योगदान को पोषित रखा जाना और बोर्ड द्वारा इसका मूल्यांकन करना
- अनुपालन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में आवश्यक राशि खर्च करती है।
- अनुपालन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि की गई सीएसआर गतिविधियों को निदेशक की रिपोर्ट में सूचित किया गया है और गैर-अनुपालन (यदि कोई हो) को उसके कारणों के साथ निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

****